तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुनील विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 11/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुनील विश्नोई पुत्र बंशीलाल विश्नोई पता *नरपत निवास के पीछे, ऑफिसर्स मेस के पास, एयर फोर्स रोड़, जोधपुर* ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.11.17 में उसके द्वारा (1) मुझ प्रार्थी सुनील विश्नोई के पिता श्री बंशीलाल विश्नोई का राजकीय सेवा में पटवारी भू-अभिलेख पद पर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में कार्यरत थे जिनका दिनांक 17.01.2008 को राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए निधन हो गया था। जिस पर प्रार्थी ने कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन किया था जिस पर आज तक प्रार्थी को ना ही कोई नियुक्ति दी गई, ना ही आवेदन पत्र का कोई जबाब प्राप्त हुआ अतः प्रार्थी को अनुम्पात्मक नियुक्ति आवेदन पर पेश करने के उपरान्त क्या कार्यवाही हुई। कोई कार्यवाही हुई तो उसका जबाब उपलब्ध करावे, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	